कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

—:: प्रेस नोट ::—

अम्बिकापुर, दिनांक 17/7/2018

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12/03/2018/20–दो/2018, नया रायपुर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन हेतु 01 जुलाई 2018 की स्थिति में 08 वर्ष या उससे अधिक सेवावधि पूर्ण करने वाले व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) कर्मचारियों की पृथक–पृथक वरिष्ठता सूची तैयार करते हुये दिनांक 17.07.2018 को जिला पंचायत सरगुजा (नियोक्ता) द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित वरिष्ठता सूची में दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2018 निर्धारित की गई है। संबंधित कर्मचारी दावा/आपत्ति की स्थिति में सुसंगत अभिलेखों सहित दावा/आपत्ति कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा में नियत तिथि तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हे। जिले की अधिकारिक वेबसाईट www.surguja.gov.in में सूची अपलोड कर दिया गया है। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को कार्यालयीन सूचना पटल पर सूची प्रकाशित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। शासन/विभाग के प्रचलित नियमों एवं प्राप्त निर्देशों के तहत यदि किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना अपेक्षित है, तो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को तत्काल परीक्षण कर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, साथ ही संबंधित व्याख्याता (पंचायत)/शिक्षक (पंचायत) द्वारा दावा/आपत्ति, नियत तिथि तक दिनांक 20 जुलाई 2018 तक प्रस्तुत करने पर विभागीय अनुदेशों के तहत परीक्षण उपरान्त मान्य किया जा सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सरगुजा

पृ.क्र. 4178/शिक्षा–2/जि.पं./2018 — अम्बिकापुर, दिनांक 17/7/2018

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर ।
5. कलेक्टर, जिला सरगुजा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सरगुजा को सूचनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), जिला सरगुजा अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट में प्रकाशनार्थ।
8. उपसंचालक, जनसम्पर्क, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं प्रमुखता से प्रकाशनार्थ।
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .... को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
10. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड .... को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सरगुजा